HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2049/2026

Manohar @ Munde S/o Vishram Meena, Aged About 26 Years, R/o Jhalatala, P.s. Laxmangarh, District Alwar (Rajasthan) (Presently Accused Petitioner Is Confined At Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Singh Rajawat Mr. Amitabh Jatav Mr. Ajay Meena
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना राजगढ़, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1), 111(2)(बी), 308(4), 324(5), 324(6), 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने टोल नाके पर दो हवाई फायर किये हैं। प्रकरण में किसी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई चोट कारित नहीं हुई है। घटना में आहत जगराम मीणा को जो चोटें आई है, उनमें एक पिंडली (tibia) अस्थि का भंग है, जिसे कारित करने का आक्षेप प्रार्थी पर नहीं होकर सहअभियुक्तगण पर है, जिन सभी सहअभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 31.05.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के

विरूद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने झगड़े में हवाई फायर किये हैं तथा उसके आधिपत्य से एक कट्टा बरामद हुआ है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर टोल नाके पर हवाई फायर करने का आक्षेप है। प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई चोट कारित नहीं हुई है। आहत जगराम को एक चोट पिंडली (tibia) अस्थि के भंग की कारित हुई है, जिसे कारित करने का आक्षेप प्रार्थी पर नहीं होकर सहअभियुक्तगण पर है। सहअभियुक्तगण शौकीन, कपिल व संजय को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 31.05.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /48